उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग–1
देहरादूनः दिनांक 06 जून, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थातः–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम–स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–1 का संशोधन	2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम (1) के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।	यह नियमावली नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

नियम–3 का संशोधन	3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड छः के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

I/128071/2023

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी।	योजना क्रियान्वित किये जाने वाले क्षेत्र / स्थान में भवन स्वीकृति हेतु अधिकृत संस्था / विभाग से स्वीकृत मानचित्र / नक्शा मान्य होगा।

नियम–4 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किये जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी।	किसी भूमिधर द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि को होमस्टे इकाई स्थापित करने हेतु गठित जिला होमस्टे चयन समिति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त भूमि को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा–143 के अन्तर्गत स्वतः अकृषिक से प्रख्यापित समझी जायेगी। होमस्टे चयन / क्रियान्वयन / अनुश्रवण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगाः– 1.जिलाधिकारी– अध्यक्ष 2.मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य 3.महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य 4.जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक–सदस्य 5.नाबार्ड के प्रतिनिधि –सदस्य 6.जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव योजना अन्तर्गत आवेदक द्वारा लाभ किये जाने पर आवेदकों के लिए निम्न शर्तें प्रतिबन्धित रहेगी :– 1 . आवेदक को प्रस्तावित योजना का उपयोग दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अन्तर्गत करना होगा। 2 . यदि आवेदन द्वारा उक्त योजना में परिवर्तन किया जाना पाया जाता है तो आवेदक के पक्ष में स्वीकृत अनुदान

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी तथा योजना तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी।

नियम–8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/ क्रियान्वयन/ अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी :– (एक)जिलाधिकारी– अध्यक्ष (दो) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य (तीन) महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य (चार) जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक–सदस्य (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि –सदस्य (छ:) जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव यह समिति जिले में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों का भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा	उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी :– (एक) जिलाधिकारी– अध्यक्ष (दो) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य (तीन) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य (चार) जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक–सदस्य (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि –सदस्य (छ:) जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव यह समिति जिले में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी तथा जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

I/128071/2023

आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।	रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 06-06-2023 16:57:12

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

संख्याः–39619 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 पूजा गर्ब्याल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM